सीएम उद्यमी विकास अभियान का आवेदन 100 फीसदी ऑनलाइन

अभियान के तहत दस वर्ष में दस लाख युवाओं को बनाया जाएगा उद्यमी

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी योजना सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान पहली ऐसी योजना है, जिसकी आवेदन प्रक्रिया 100 फीसदी ऑनलाइन है। आवेदकों के फॉर्म से लेकर उसे बैंक भेजने तक की कड़ी में मानवीय दखल न्यूनतम किया गया है। जिला उद्योग केंद्रों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि आवेदन पत्रों की पड़ताल जरूर करें और कमियों को दूर कर बैंक भेजें ताकि बैंक आवेदन पत्रों को खारिज न कर सकें।

बता दें कि सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत पांच लाख रुपये तक का ब्याजमुक्त और सिक्योरिटी मुक्त लोन दिया जा रहा है। इस योजना से दस वर्ष में दस लाख युवाओं को उद्यमी बनाया जाएगा। पहले चरण में लोन लेकर अदा करने वाले युवा दूसरे चरण में फिर पांच लाख रुपये ऋण लेने के पात्र हो जाएंगे।

इस अभियान के तहत अब तक ढाई लाख से अधिक पंजीकरण हो चुके हैं। योजना की जानकारी लेने के लिए एमएसएमई विभाग की वेबसाइट msme.gov.up.in को पीक टाइम में एक सेकंड में 12 हजार से ज्यादा लोग देख रहे हैं। युवाओं को उद्यम चुनने में मदद के लिए लगभग 500 बिजनेस मॉडल बनाए गए हैं। आवेदन विभाग की वेबसाइट के माध्यम से किया जा सकता है।

युवाओं को दे रहे पांच लाख रुपये तक का ब्याजमुक्त व सिक्योरिटी मुक्त लोन

पात्रता की शर्तें

- आयु : 21 से 40 वर्ष
- शैक्षणिक योग्यता : न्यूनतम 8वीं पास या समकक्ष
- मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से कौशल संबंधित प्रमाणपत्र, डिप्लोमा या डिग्री
- आवेदक को किसी अन्य केंद्र या राज्य सरकार की योजना (जिसमें ब्याज या पूंजी घटक शामिल हो) का लाभ नहीं मिल रहा हो, सिवाय पीएम स्वनिधि योजना के।

आवेदक की फाइल की स्क्रूटनी जिला उद्योग केंद्र में होगी और कमियों को दूर किया जाएगा ताकि लोन फाइल खारिज न हो सके। बैंक लोन देने में आनाकानी न कर सकें, इसके लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत लोन कवर किया गया है। जो युवा उद्यम शुरू करना चाहते हैं उनके लिए 500 से ज्यादा बिजनेस मॉडल तैयार किए हैं। कॉल सेंटर के साथ ऑफलाइन परामर्श की सुविधा दी जा रही है।

– आलोक कुमार, प्रमुख सचिव, एमएसएमई व अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास

योजना के लिए जरूरी दस्तावेज

- कौशल दस्तावेज जिसमें कौशल प्रमाणपत्र/प्रशिक्षण प्रमाणपत्र/कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रमाणपत्र/आईटीआई से प्राप्त प्रशिक्षण का प्रमाणपत्र।
- परियोजना दस्तावेज
- परियोजना रिपोर्ट
- पैन कार्ड
- निवास प्रमाणपत्र
- ऋण देने वाले बैंक के साथ संपर्क इतिहास (संबंधित बैंक शाखा में चालू/बचत खाता के पासबुक के प्रथम पेज की प्रति)
- नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथपत्र
- शैक्षणिक योग्यता प्रमाणपत्र
- आयु प्रमाणपत्र